<u>न्यायालयः- सेशन न्यायाधीश, पाली (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारीः- राकेश गोरा, (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग
(लिंक अधिकारी)

दांडिक विविध जमानत प्रकरण संख्या - 493/2026

01. चुन्नीलाल उर्फ चिन्टु पुत्र भगाराम, उम्र 19 वर्ष, निवासी जहमा फली आमली, पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान।

02. शंकरलाल पुत्र केसाराम, उम्र 20 वर्ष, निवासी जहमा फली मालप, पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, हाल निवासी कागदड़ा झूपा, पुलिस थाना नाना, जिला-पाली, राजस्थान।

03. कालूराम पुत्र रताराम, उम्र 19 वर्ष, निवासी सेलतों की फली मालप, पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान।

...प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक पाली, राजस्थान।

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 88/2026 पी.एस. ट्रांसपोर्ट नगर, पाली
जुर्म अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
अभियुक्त चुन्नीलाल उर्फ चिन्टू की गिरफ्तारी दिनांक 05.06.2026
अभियुक्तगण शंकरलाल व कालूराम की गिरफ्तारी दिनांक 07.06.2026

उपस्थितः-
01. श्री इस्लामुद्दीन मोयल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।
02. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

आदेश **दिनांकः- 19.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। नकल लोक अभियोजक को दिलवाई गयी। श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रीष्मावकाश पर विराजते हैं, जिससे यह आवश्यक प्रकृति का प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.05.2026 को प्रार्थी मोहनलाल ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दनांक 07.05.2026 को वह व उसकी पत्नी कमला मकान का ताला बंद कर रिश्तेदारी में बीजापुर गए हुए थे। दिनांक 10.05.2026 को सुबह पड़ोसी का कालुराम ने ईत्तला दी कि रात्रि में आपके मकान के ताले तोड़ दिए हैं, जिस पर वह घर पाली आया और देखा तो मकान व अलमारी के ताले टूटे हुए पाए जाने पर उसने अपनी पत्नी कमला को बुलाया और मकान में रखे जेवरात चेक किये तो पता चला कि भगवान के मन्दिर में तस्वीर के पीछे डिब्बे में रखी सोने की कंठी, सोने की चेन, सोने के झूमर झेला जोडी, सोने का टीका, सोने का हार, सोने की एक अंगूठी व उसी कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसके खाने में रखा चाँदी का कन्दोरा वजन, एक चॉदी की पायजेब जोड़ी व चाँदी के करीब 7 सिक्के अज्ञात चोरों द्वारा दिनाँक 10.05.2026 को वक्त रात्रि करीब 1.00 एएम से करीब 2.00 एएम के बीच उसके मकान का ताला तोड़कर चुराकर ले गए.....वगैरह। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 88 दिनांक 14.05.2026 अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए) भा.न्या.सं. में दर्ज कर दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया, जिनका जमानत आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने से यह जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपराधी व्यक्ति नहीं हैं, उनके विरुद्ध पूर्व में न तो कोई प्रकरण दर्ज है, न ही पूर्व की कोई दोषसिद्धि रेकर्ड पर है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरादमगी नहीं हुई है, जो बरामदगी पुलिस द्वारा बतायी गई है वह झूठी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नौजवान युवक होकर मजदूर है व अपने परिवार में कमाने वाले सदस्या हैं, जिनके जेल में रहने से उनके चरित्र पर बुरा असर पड़ेगा और उनके परिवार के जीवनयापन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गिरफ्तारी दिनांक 05.06.2026 एवं 07.06.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की वर्णित पते पर स्थित होने से उनके कहीं भागकर जाने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान को बहकाने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध करने के इरादे से रात्रि गृह भेदन कर परिवादी के घर से सोने-चांदी के जेवरात चुराने के गंभीर अपराध का आरोप हैं। अतः जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस बी क्रि. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राज. में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण **चुन्नीलाल उर्फ चिन्टू, शंकरलाल एवं कालुराम** का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

Sr. No.	FIR No. & P.S.	Section	Date	Status	Date of Arrest	Release on any previous occasion (If any)
शून्य						

6. उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध रात्रि गृह भेदन कर परिवादी के घर में धुसकर सोने-चांदी के जेवरात चुराने के संबंध में अपराध अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए), 112(2) भा.न्या.सं. के अपराध का आरोप अनुसंधान में प्रमाणित पाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज होकर लंबित होना नहीं बताया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण क्रमशः 19, 20 व 19 वर्ष के होकर नवयुवक हैं, जो गिरफ्तारी की दिनांक से अभिरक्षा में है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की हद तक अनुसंधान पूर्ण हो चुका है एवं किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं होना बताया है। आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है, जिसके अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा <u>एस.बी. क्रिमिनल मिस. बेल संख्या 11084/2024 जरिए आदेश दिनांक 19/09/2024</u> से अभियुक्त नंदसिंह उर्फ जयसिंह उर्फ बन्ना के मामले में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित कर विचारण न्यायालयों के लिए इन शर्तों सहित जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया है:-

> *''Consequently, the present bail application is allowed and it is directed that the accused-petitioner Nand Singh @ Jaysingh @ Banna S/o Shri Shivraj Singh, arrested in connection with the FIR No.76/2022, registered at Police Station Transport Nagar, District Pali shall be released on bail provided he furnishes a personal bond and two surety bonds of sufficient amount to the satisfaction of the learned trial court with the stipulation to appear before that Court on all dates of hearing and as and when called upon to do so.* ***This order is subject to the condition that accused, within 7 days of his release, and sureties on the day of furnishing bail, will also furnish details of their all bank accounts, with bank and branch name, in shape of an affidavit, and submit legible copy of their Aadhar cards as well as copy of front page of Bank pass book, for smooth recovery of penalty amount, if there arise a need for recovery of penalty under Section 446 Cr.P.C in future.''***

8. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **01. चुन्नीलाल उर्फ चिन्टु पुत्र भगाराम,** उम्र 19 वर्ष, निवासी जहमा फली आमली, पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान, **02. शंकरलाल पुत्र केसाराम,** उम्र 20 वर्ष, निवासी जहमा फली मालप, पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, हाल निवासी कागदड़ा झूपा, पुलिस थाना नाना, जिला-पाली, राजस्थान एवं **03. कालूराम पुत्र रताराम,** उम्र 19 वर्ष, निवासी सेलतों की फली मालप, पुलिस थाना पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर, यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त **50,000/-** रूपये का स्वयं का मुचलका एवं **25,000/- 25,000/-** रूपये की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार, इन शर्तों सहित प्रस्तुत कर तस्दीक करावें कि वह विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर हाजिर होते रहेंगे तथा जमानती जमानत पेश करने के समय एवं अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा होने के पश्चात 07 दिवस के भीतर अपने सभी बैंक खातों का विवरण मय बैंक पास बुक के प्रथम पेज की स्पष्ट पठनीय फोटोप्रति व आधार कार्ड की प्रति शपथ पत्र के प्रारूप में सूचना अंकित करते हुए प्रस्तुत करेंगे, ताकि धारा 446 दं.प्र.सं. (491 बी.एन.एस.एस.) के तहत भविष्य में पेनल्टी राशि की वसूली की आवश्यकता हो तो पेनल्टी राशि आसानी से वसूल की जा सके, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(राकेश गोरा)
लिंक अधिकारी
सेशन न्यायाधीश, पाली

9. यह आदेश आज दिनांक **19.06.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(राकेश गोरा)
लिंक अधिकारी
सेशन न्यायाधीश, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.24 00:40:35 IST